न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 31/2018 श्री मांगीलाल बनाम श्रीमती कमला

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19–12–2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायतशुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के आदेश–7, नियम–11 जाब्ता दीवानी के आवेदन पर वादी अपीलान्ट का वाद इस आधार पर खारिज किया गया कि प्रकरण में अपीलान्ट वादी स्वयं द्वारा पूर्व में इन्हीं आराजीयात बाबत् इन्हीं पक्षकारों के साथ विभाजन का वाद संख्या 225/2007 वादी अपीलान्ट स्वयं द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध पेश किया गया। जिसमें निर्णय दिनांक 21–2–2008 से वादी अपीलान्ट स्वंय द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत कर विववादित आराजीयात में प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट का 1/2 हिस्सा मानकर विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। जिससे दिनांक 21–2–2008 को सहमति से प्रारम्भिक डिक्री जारी हुई। प्रकरण में पेश शुदा जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 अनुसार विभाजन होकर वादी अपीलान्ट व प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के मध्य विवादित आराजीयात के विभाजन का इन्तकाल नंबर 1779 दिनांक 1–2–2013 से विभाजन होकर नोट अंकित है। हमारे द्वारा यह पाया गया कि वादी द्वारा वर्ष 2007 में प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट का विवादित आराजीयात में 1/2 हिस्सा स्वयं मानकर विभाजन का वाद पेश कर अंतिम डिक्री प्राप्त कर राजस्व रेकर्ड में भी उसकी प्रविष्टि हो चुकी है, तो अब वादी अपीलान्ट को उन्हीं आराजीयात बाबत् प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के हक अधिकारों को चुनौति देने के लिए वह विधिक रूप से विबन्धित है। किसी भी पक्षकार को स्वयं वाद पेश कर किसी सह–खातेदार का 1/2 स्वयं हक मानकर विभाजन का वाद पेश कर डिक्री प्राप्त कर लेने के बाद उसी वादी को अब उसी सह–खातेदार प्रतिवादी के स्वत्व को चुनौति देना किसी भी प्रकार से विधिक नहीं होकर साक्ष्य संहिता, जाब्ता दीवानी व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होकर अनावश्यक मिथ्या, वादकरण, तथ्यों को छुपाकर पेश किया गया वाद है, जो निसन्देह आदेश–7, नियम–11 जाब्ता दीवानी के तहत विधि विरूद्ध वाद है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसे तुच्छ, मिथ्या एवं विधि विरूद्ध वाद को खारिज किये जाने में किसी प्रकार से तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–5–2018 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री	

	जारी हो। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19–12–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन र0ा.अ.अ.** ....मुकाम ....**उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

1–श्री मांगीलाल पिता डालु कुमावत निवासी बामनिया कला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द अन्य–4	बनाम	**1– श्रीमती कमला पुत्री मोहन पत्नी नानालाल कुमावत निवासी पीपली आचार्यान तहसील व जिला राजसमन्द अन्य–2 व सरकार**

अपील नं0 **31/2018** बनाराजगी डिगरी अदालत............................. **सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी)** ...... **रेलमगरा**..... मुकाम मुर्क्खे.........**14**...........माह.............**05**...........**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**19**..... माह ......**12**.......... सन् **2018** रूबरू............ पक्षकारान व हाजरी ....**श्री मुकेश तलेसरा** **..........................** मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री राजेश पालीवाल** .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–5–2018 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**19**...... माह ...**12**........ **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील .... स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा .... 3. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 31 / 2018 श्री मांगीलाल बनाम **श्रीमती कमला**

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. ....मुकाम ....**उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84 / 2012 बनाराजगी डिगरी अदालत .... सहायक कलक्टर मु0.............. उदयपुर .... मुकाम मुर्ख्खे...........27.............. माह ....02........... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री संजय बोहरा .... .

.... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा....... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 31/2018 श्री मांगीलाल बनाम **श्रीमती कमला**

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. ....मुकाम ....**उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य –2	**बनाम**	श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........08.............. माह ....07........... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री ....

.... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि .... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .... 6. स्टाम्प वकालत नामा....... 7. इजराय हुक्मनामा .... 8. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।